प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्रमांक 550/20 12

1. भूषण टंडन, पिता मोतीलाल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम डोटोपर, पुलिस थाना बलौदा बाजार, जिला रायपुर (अब बलौदा बाजार–भाटापारा) (छत्तीसगढ़)

2. करनदास, पिता हीरादास टंडन, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम डोटोपर, पुलिस थाना बलौदा बाजार, जिला रायपुर (अब बलौदा बाजार–भाटापारा) (छत्तीसगढ़)

3. प्रताप टंडन (मृत तथा आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुसार विलोपित)

---- अपीलकर्ता
(अभिरक्षा में)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना बलौदा बाजार, जिला रायपुर
(अब बलौदा बाजार–भाटापारा)(छत्तीसगढ़)

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता संख्या 01 के लिए:	श्री समीर सिंह, अधिवक्ता
अपीलकर्ता संख्या 02 के लिए:	श्री ए.एस. राजपूत, अधिवक्ता
राज्य के लिए:	श्री सुदीप वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता
शिकायतकर्ता के लिए:	श्री एस.पी. सन्नत, अधिवक्ता

युगल पीठ
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल और
माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी
(28.11.2022)

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल के अनुसार

अपीलकर्ताओं–आरोपी द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील विद्वान प्रथम अपर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश दिनांक 26.06.2012 के विरुद्ध निर्देशित है। सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार–भाटापारा (छ.ग.) द्वारा एस.टी. क्रमांक 67/2011 (छ.ग. राज्य बनाम भूषण टंडन एवं अन्य) में, जिसके द्वारा उन्हें धारा 302/34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तथा

आजीवन कारावास सहित 500/– रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है तथा व्यतिक्रम की दशा में 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

(2) अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 22.08.2009 को लगभग 12:00 बजे, ग्राम रावान में, अभियुक्तगण–अपीलकर्ताओं ने अपने समान उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मृतक मंशाराम पर लाठी/डण्डे से हमला किया, जिससे उसे चोटें आईं तथा दिनांक 27.08.2009 को उसकी मृत्यु हो गई तथा इस प्रकार, धारा 302/34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध कारित किया।

(3) अभियोजन पक्ष का आगे का मामला संक्षेप में यह है कि: संतलाल (अ.सा.–01) दुर्गा कूरियर कंपनी के ट्रक क्रमांक सीजी–04–6608 का ट्रक चालक था तथा उक्त ट्रक में संतलाल (अ.सा.–01) का ससुर मंशाराम (मृतक) सहायक के पद पर कार्यरत था; दुर्भाग्यिपूर्ण दिन यानि 22.08.2009 को संतलाल (अ.सा.–01) और मंशाराम (मृतक) ट्रक में सीमेंट रखने के बाद अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री, रावान की ओर चल पड़े; रास्ते में संतलाल (अ.सा.–01) ने शराब की दुकान के सामने ट्रक रोक दिया/खड़ा कर दिया तथा मंशाराम (मृतक) को ट्रक की देखभाल करने का निर्देश देकर अपने गांव बीजादेही चला गया; जब मंशाराम (मृतक) ट्रक में था, रात्रि लगभग 12:00 बजे आरोपीगण ट्रक के पास आये तथा उन्होंने मंशाराम (मृतक) से किसी पुरानी रंजिश के कारण विवाद किया तथा लाठी/डंडा से मंशाराम (मृतक) पर हमला कर दिया, जिससे मंशाराम (मृतक) के पीठ, सिर एवं गर्दन पर चोटें आयीं; तत्पश्चात दिनांक 23.08.2009 को मंशाराम (मृतक) अपने गांव डोटोपार गया तथा अपने भाई छत्तर सिंह (अ.सा.–07), अपनी पत्नी दयामती एवं अन्य ग्रामीणों को उक्त घटना की जानकारी दी तथा तत्पश्चात पुलिस थाना बलौदा–बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराने गया; उक्त घटना को शराब दुकान के समीप के लोगों ने देखा; मंशाराम द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर पुलिस ने एफआईआर (प्रदर्श पी/13) दर्ज कर मंशाराम (मृतक) को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा तथा चिकित्सा प्रतिवेदन रिपोर्ट (प्रदर्श पी/10) में डॉ. के.एस. बाजपेयी (अ.सा.–05) ने कहा कि मंशाराम (मृतक) के शरीर पर चार चोटें पाई गई हैं, जो सामान्य प्रकृति की हैं; तत्पश्चात दिनांक 27.08.2009 को मंशाराम की मृत्यु हो गई, जिसके आधार पर मर्ग सूचना दर्ज की गई; मृतक मंशाराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी (अ.सा.–09) द्वारा की गई पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट (प्रदर्श पी/10) में कहा गया कि मृतक मंशाराम की मृत्यु का कारण फुफ्फुसीय अन्तःशल्यता के कारण श्वासावरोध होना है, संभवतः यह मृत्यु पूर्व में मांसपेशियों में चोट के कारण हुई है; इसके बाद, अपीलकर्ता–अभियुक्तों को प्र.पी./07 से 09 के अधीन गिरफ्तार किया गया और उनके ज्ञापन कथन प्र.पी./01 से 03 के अधीन दर्ज किए गए, जिसके अनुसार प्र.पी./04 से 06 के अधीन 'लाठियां/डंडा' जब्त किए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष को ही ज्ञात कारणों से उक्त जब्त 'लाठियों' की एफएसएल जांच नहीं की गई; इसके अलावा, उक्त जब्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'लाठियों' को एक विशेषज्ञ के पास जांच के लिए भेजा गया, जिसके अधीन जांच रिपोर्ट (प्र.पी./11) के अधीन यह राय दी गई कि मंशाराम (मृतक) को लगी चोटें उक्त 'लाठियों' के कारण हो सकती हैं। इसके बाद, गवाहों के कथन दर्ज किए गए और उचित जांच के बाद, पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदा बाजार (छग) की न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया और उसके बाद मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने अपने अपराध से इन्कार कर दिया तथा यह कहते हुए बचाव में उतर आए कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है।

(4) अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 13 गवाहों की जांच की तथा 17 दस्तावेज पेश किए, जबकि अपीलकर्ताओं–अभियुक्तों ने अपने बचाव के समर्थन में 03 गवाहों का परीक्षण कराया तथा 02 दस्तावेज पेश किए।

(5) विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषी मानते हुए उन्हें उपरोक्तानुसार सजा सुनाई, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता–अभियुक्त द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा सजा के आदेश पर प्रश्न उठाए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त–अपीलकर्ता संख्या 3– प्रताप टंडन की मृत्यु हो गई है और इसलिए, इस न्यायालय के दिनांक 10.10.2022 के आदेश द्वारा उनका नाम इस अपील से हटा दिया गया है।

(7) अपीलकर्ता संख्या 01 और 02 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री समीर सिंह और श्री ए.एस. राजपूत ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराना पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक को लगी चोटें साधारण प्रकृति की थीं और मृतक मंशाराम के शरीर पर केवल चार चोटें पाई गईं, जो चोटें साधारण प्रकृति की हैं और उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए, अभियुक्त–अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। जी.एस. वालिया बनाम पंजाब राज्य और अन्य 1 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय अवलंब लेते हुए उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त–अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध के लिए दोषी

ठहराया जा सकता है। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त–अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दिनांक 26.06.2012 का दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

(8) इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री सुदीप वर्मा एवं शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.पी. सन्नत ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने पुष्ट प्रकृति के साक्ष्य प्रस्तुत करके अपराध को संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अन्तर्गत अपराध के लिए सही रूप से दोषसिद्ध किया है, क्योंकि अभियुक्त–अपीलार्थी ने मंशाराम (मृतक) पर लाठी से हमला किया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः वर्तमान अपील खारिज किये जाने योग्य है।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके उपरोक्त तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) वर्तमान प्रकरण में मृतक मंशाराम की सर्वप्रथम जांच डॉ. के.एस. बाजपेयी (अ.सा.–05) द्वारा दिनांक 23.08.2009 को की गई, जिन्होंने अपनी एम.एल.सी. रिपोर्ट (प्रदर्श पी./10) दी तथा राय दी कि मंशाराम (मृतक) के शरीर पर केवल चार चोट के निशान पाए गए, जो चोटें सामान्य प्रकृति की हैं तथा कोई आंतरिक चोट नहीं पाई गई, तथा तत्पश्चात दिनांक 27.08.2009 को मंशाराम (मृतक) की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात मृतक मंशाराम के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 27.08.2009 को डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी (अ.सा.–09) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी पी.एम. रिपोर्ट (प्रदर्श पी./10) दी तथा राय दी कि मृतक मंशाराम की मृत्यु का कारण फुफ्फुसीय अन्तःशल्यता के कारण श्वासावरोध है, जो पूर्व में मांसपेशियों में चोट के कारण हो सकता है। डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी (अ.सा.–09) ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने कथन के पैरा–03 में यह भी कहा है कि मृतक– मंशाराम की मृत्यु फुफ्फुसीय अन्त:शल्यता के कारण श्वासावरोध के कारण हुई थी और उन्होंने अपनी जिरह के पैरा–05 में आगे बताया है, जो इस प्रकार है:

> "5. यह सही है कि मैने अपने प्र 0 प्री० 40 के रिपोर्ट में पल्मोनरी इंबोलिज्म शब्द का प्रयोग किया है। वह व्यक्ति के फेफड़े के नस की भीतर रक्त के थक्का जमने से होता है। यह व्यक्ति को खून से संबंधित एवं फेफड़े से संबंधित बिमारी से भी हो सकती है। यह सही है कि मृतक मंशाराम के पीठ में तथा जांघ पर जो निलगू निशान थे वे साधारण प्रकृति के थे और उससे आदमी की मृत्यू नहीं हो सकती। मृतक मंशाराम के शरीर में किसी भी स्थान पर कटे हुए तथा रक्त श्राव का निशान नहीं पाया जा सकता है। यह बात सही है कि पीठ में जो निलगू निशान थे वह पेट के बल पर गिरने से कड़े

एवं भोथरे वस्तु से आ सकती है।"

(11) डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी (अ.सा.–09) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मंशाराम (मृतक) की मृत्यु फुफ्फुसीय अन्तःशल्यता के कारण विकसित श्वासावरोध के कारण हुई है तथा न्यायालय के समक्ष अपने कथन के पैरा–05 में यह सम्भावना भी व्यक्त की है कि फुफ्फुसीय अन्तःशल्यता फेफड़ों से सम्बन्धित रोग के कारण हुई है तथा आगे यह भी कहा है कि मृतक को लगी चोटें साधारण प्रकृति की हैं, जो कि डॉ. के.एस. बाजपेयी (अ.सा.–05) द्वारा भी दी गई है, जिन्होंने मृतक मंशाराम की जीवित रहते हुए चिकित्सा प्रतिवेदन बनाया था। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक मंशाराम को लगी चोटें सामान्य प्रकृति में उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं तथा यह भी नहीं कहा गया था कि इनसे उसकी मृत्यु होने की सम्भावना है। अन्यथा भी अपीलकर्ता – अभियुक्तों ने मृतक मंशाराम पर केवल पूर्व रंजिश और विवाद के कारण हमला किया है और इसके अलावा इस तथ्य पर विचार करना आवश्यक और सुसंगत है कि मृतक मंशाराम उक्त घटना के बाद अपने घर डोटोपार गांव में वापस आया और पांच दिन तक वहीं रहा तथा उपचार के लिए नहीं गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) जी.एस. वालिया (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसमें मृतक की मृत्यु फुफ्फुसीय अन्तःशल्यता के कारण हुई थी, जो वर्तमान प्रकरण के समान है, इस तरह की जटिलता का कारण लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करना था और उनके माननीय न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य के माध्यम से यह साबित पाया कि चोटों के कारण मृत्यु नहीं हुई और उन्हें बिस्तर पर आराम करने की आवश्यकता थी, जिसके कारण फुफ्फुसीय अन्तःशल्यता हुई और निम्नानुसार माना गया:

> "11. हमारा विचार है कि केसर सिंह के साक्ष्य और मृत्युपूर्व कथन पर भरोसा करने और बलवंत सिंह को चोट पहुंचाने के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने में विचारण न्यायालय सही था। लेकिन विचारण न्यायालय ने धारा 302 के साथ धारा 149 भा. दं. सं. के अधीन अभियुक्तों को दोषी ठहराने में सही नहीं किया। मेडिकल साक्ष्य यह नहीं दिखाते हैं कि बलवंत सिंह को लगी चोटें सामान्य प्रकृति में उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उन्हें उनकी मृत्यु का कारण बनने की संभावना भी नहीं बताई गई थी। अभियुक्तों के पास बलवंत सिंह को मारने का कोई कारण नहीं था। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका उद्देश्य केवल उन्हें पीटना था। उनके द्वारा उनके शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण अंग पर गंभीर चोट पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसलिए, अभियुक्तों को केवल धारा 325 के साथ धारा 149 भा. दं. सं. के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए था। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को निरस्त करते हैं और अभियुक्तों को धारा 148 और 325 के साथ धारा 149 भा. दं. सं. के अधीन दोषी मानते हैं। धारा 325 सहपठित धारा 149 भा. दं. सं. के अधीन दंडनीय अपराध के लिए हम उन्हें पहले से ही काटी गई अवधि के लिए कारावास भुगतने और 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाते हैं। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया जाता है। यदि जुर्माना अदा किया जाता है तो उक्त राशि मृतक की विधवा को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। प्रतिवादियों को जुर्माना अदा करने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है। ”

(13) प्रकरण के उस दृष्टिकोण में और जैसा कि जी.एस. वालिया (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों द्वारा माना गया है और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मृतक मंशाराम को लगी चोटें साधारण प्रकृति की थीं और उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं और यहां तक कि उनकी मृत्यु का कारण बनने की संभावना भी नहीं बताई गई है और आगे डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी (अ.सा.–09) द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने कथन में फुफ्फुसीय अन्त:शल्यता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित/स्पष्ट किया गया है कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी के कारण ऐसा हो सकता है और इसके अलावा मृतक मंशाराम के शरीर पर केवल चार चोट के निशान चिकित्सा प्रतिवेदन रिपोर्ट (प्रदर्श पी/10) के अनुसार पाए गए थे, हम इस विचारित राय के हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त–अपीलकर्ताओं को भा. दं. सं. की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराना बिल्कुल अनुचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) तदनुसार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26.06.2012 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है, जिसमें अभियुक्त–अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित 34 के अन्तर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके स्थान पर, अभियुक्त–अपीलकर्ताओं, अर्थात् भूषण टंडन एवं करनदास को मृतक मंशाराम को स्वैच्छिक चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 325 सहपठित 34 के अन्तर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तथा प्रत्येक को 5000/– रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है, जो कि शिकायतकर्ता/मृतक मंशाराम की पत्नी/एलआर को देय होगा तथा व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। चूंकि, अपीलकर्ता जमानत पर हैं अतः उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उनके जमानत बांड दं.प्र.सं. की धारा 437–ए में निहित प्रावधान के दृष्टिकोण में छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

(15) यह दाण्डिक अपील ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur